



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 1084/7 सी०
सेवा में,

दिनांक 27 अप्रैल 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में घेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.365 हे० आरक्षित सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण गैर विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 10385/2015)

सन्दर्भ: उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 30 मई 2015
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन

निम्नवत है:-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.730 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान वेलन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या-1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु रु 6,76390.00 (रु० छः लाख छिहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की धनराशि Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR न० SBIN715210353858 से जमा कर दी गयी है।</p> <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु घयनित स्थल ग्राम-तुलेडी के नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु तहसीलदार कार्यालय लमगड़ा जिला-अल्मोड़ा को लिखा गया था। तहसील कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम-तुलेडी की सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण किसी अन्य योजना हेतु पूर्व में ही किया जा चुका है। वर्तमान में ग्राम-तुलेडी में भूमि उपलब्ध नहीं है। तदुपरान्त जिलाधिकारी अल्मोड़ा को उक्त विषय में अवगत कराते हुये किसी अन्य स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा ग्राम-रणौक, पटवारी क्षेत्र-सोंगड, उप तहसील-लमगड़ा में 5.00 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी। जिसका वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं० 5227/ग्यारह-48/2015-16 दिनांक 16.05.2016 द्वारा किया जा चुका है(आदेश की प्रति संलग्न है)।</p>

2	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु 6,00,000.00 (रु छ लाख) मात्र की धनराशि Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR नं० SBIN715210353858 से रु 23365126.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है जिसमें रूपया 600000.00 रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित कृषारोपण की उक्त धनराशि भी सम्मिलित है।</p>
3	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1985 के अंतर्गत आईओएसओ-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफओसी० दिनांक 06.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) कि निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या-3 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19,98,425.00(रु उन्नीस लाख अठानबे हजार चार सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR नं० SBIN715210353858से रु 23365126.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है जिसमें से रु 1998425.00 एन०पी०वी० की उक्त धनराशि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त एन०पी०वी० की पुनरिखित धनराशि रु 1059165.00 भी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न।</p>
4	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि सूक्ष्म स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या-4 के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
5	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की यथावित धनराशि संबंधित खाते में जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19,98,425.00(रु उन्नीस लाख अठानबे हजार चार सौ पच्चीस) की धनराशि Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR नं० SBIN715210353858 से रु 23365126.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है जिसमें रु 1998425.00 एन०पी०वी० की उक्त धनराशि सम्मिलित है (पत्र की प्रति संलग्न है) एवं उक्त धनराशि के अतिरिक्त एन०पी०वी० की पुनरिखित धनराशि रु 1059165.00 भी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न।</p>
6	<p>भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफओसी० दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति प्रौद्योगिक निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एसओवी०-25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत</p>	<p>शर्त संख्या-6 के अनुपालन में क्षतिपूरक कृषारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु रु 6,76,390.00 (रु छ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र, रिक्त पड़े स्थानों पर पर यथावित कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु 6,00,000.00 (रु छ लाख) व एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19,98,425.00(रु उन्नीस लाख अठानबे हजार चार सौ पच्चीस) की धनराशि</p>

	<p>सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 मूलतः सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।</p>	<p>Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR न० SBIN715210353858 से रु 23365126.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। जिसमें उक्त धनराशि भी सम्मिलित है (पत्र की प्रति संलग्न है) एवं उक्त धनराशि के अतिरिक्त एन०पी०वी० की पुनरिक्षित धनराशि रु 1059165.00 भी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न।</p>
7	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1996 के अंतर्गत आई०एस०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति योजनाएं निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 मूलतः सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदकर विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो उपलब्ध कराने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।</p>	<p>शर्त संख्या-7 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु रु 6,76,390.00 (रु० छ. लाख छिहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र रिक्त पड़े स्थानों पर पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु 6,00,000.00 (रु० छ. लाख) व एन०पी०वी० की धनराशि रु० 19,98,425.00 (रु० उन्नीस लाख अठानवे हजार चार सौ पच्चीस) की धनराशि Compensatory Afforestation Fund(CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में UTR न० SBIN715210353858 से रु 23365126.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है जिसमें उक्त धनराशि भी सम्मिलित है (पत्र की प्रति संलग्न है) एवं उक्त धनराशि के अतिरिक्त एन०पी०वी० की पुनरिक्षित धनराशि रु 1059165.00 भी चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न।</p>
8	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>शर्त संख्या-8 के अनुपालन में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
9	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>	<p>शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों संलग्न कर प्रेषित है।</p>
10	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>	<p>शर्त संख्या-10 के अनुपालन में शर्त मान्य है।</p>

11 उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में शर्त मान्य है।
--	--

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।

भवदीय,
28/11/21
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

Or

पत्रक-1684/7सी०

तददिनांक

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/11/21
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

Or

AGENCY COPY

Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date: 02-03-2024

Challan Code	CAM5009
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	EXECUTIVE ENGINEER
PF Application No.	8110364728
MUT/ISO File No.	1(218)15
Address	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No. Email Id. Mobile No. Landline No.	eeptalmora@rediffmail.com 7532877408 980-2228833
Account (in Rs)	1054105
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India FCS Centre, 2/17, III Floor, Jethi Towers, Mission Road, Bangalore-560027

Amount in Words: Ten Lakh Fifty-nine Thousand One Hundred and Only Five Rupees Only


 Branch Officer (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against MUT/DO.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies in

note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
in to Email: fcabin@unionbankofindia.bank , epurser

60160202403064779



Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
ROAD/10384/2015 Application to primary school Chitra motor road	ROAD10384/201579	30 May 2015	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA: 0/- Zone: 159165/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Total: 109165/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On 11 Sep 2023 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment (Challan) Challan Generated 05 Oct 2023 On Transaction Date 12 Oct 2023	Demand Letter Arbansiddha Fungid/109165/20231541327
FP/UK/ROAD/9557/2015 Application to Same Indura Thana matwera Motor Road	ROAD9557/2015185	11 Jun 2016	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA: 0/- Zone: 3596756/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Total: 3596756/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On 08 Sep 2023 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment (Challan) Challan Generated 02 Mar 2024 On Transaction Date 06 Mar 2024	Demand Letter Arbansiddha Fungid/3596756/20231152102324
ROAD/11200/2015 Application to garau darim motor road	ROAD11200/2015463	22 Feb 2016	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety: 0/- Addl PA: 0/- Zone: 184140/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Other: 0/- Charged: 0/- Total: 184140/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On 16 Sep 2023 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment (Challan) Challan Generated 05 Oct 2023 On Transaction Date 12 Oct 2023	Demand Letter Arbansiddha Fungid/184140/20231207280098

आदेश

Sl. No. 5046
Date 19-5-16
Page No. 50 सी.
Page No. 50 सी.

जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अंतर्गत चेलडीना बाजार से प्राथमिक भाठशाला बुपड़ा तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली कुल-2.365 हैक्टर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किये जाने के संबंध में तहसीलदार, जैती/उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली के पत्रांक मैगो/वनभूमि/रकमा0/2016 दिनांक 21-4-2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण प्रस्ताव सहित प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेख जिसमें संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तावित की गई भूमि की खतीनी, एवं खसरा नकल तथा प्रस्तावित भूमि का मौका नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि के संबंध में शासन स्तर से निर्गत वैधानिक स्वीकृति तथा तहसीलदार जैती/उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली की आज्ञा के अनुसार क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि राजस्व ग्राम-रणाऊँ, बटवारी क्षेत्र-सामगढ़, उप तहसील-लमगड़ा के तैर जमींदारी विनाश खतीनी खाता संख्या 46 की शैली-0(3)अ 'रकमा0आबाद' के पैमायसी खेत न0-- 6958 नये-0.100 है0, खेत न0-6959 की 0.170 है0, खेत न0-6960 की 0.250 है0, खेत न0-6961 की 0.375 है0, खेत न0-6962 की 0.386 है0, खेत न0-7175 की 0.743 है0, खेत न0-7179 की 1.683 है0, खेत न0-7189 की 1.685 है0, खेत न0-7190 की 0.228 है0, इस प्रकार कुल-5.00 हैक्टर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया। तदनुसार ही क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती/लमगड़ा को उपर्युक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतीनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन विभाग अल्मोड़ा
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
18/5/2016
सहायक जिलाधिकारी

रद/-
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 5227 / न्यारह-48/2015-16, दिनांक 16-05-अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि निम्नकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
- 3- उप जिलाधिकारी जैती/भनोली ।
- 4- तहसीलदार जैती/लमगड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते, जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

श्री जे.पी. जलवीर उद्योगक जस जनाक फर्के खाताको अर्थात
 ए.पी.सी. (३) ३० - व. खाता आठ

क्र.सं.	नाम (व्यक्तिगत)	खतेर	क्र.सं.	मुख्य हस्ताक्षरि - को-को	विशेष
6	बैजय काठडाठ	2	0120		<u>आठठा</u>
		4	046		
		5	0129		
		9	078		
		↓	↓		
	6958	0835	→	0.100	
	6959	0750	→	0.170	
	6960	0255	→	0.250	
	6961	0375	→	0.375	
	6962	0386	→	0.386	
	↓	↓			
	7175	0749	→	0749	
	↓	↓			
	7179	1683	→	1.683	
	↓	↓			
	7189	1065	→	1.065	
	7190	0228	→	0.228	
	↓	↓			
	8599	0003			
	8600	023			
	8603	045			
	8604	020			
	<u>योग</u>	1761	128.072	5.000	

सोमापि जिनको ३० मनेको
 मन्सापि के आठठाको
 5227/11-48/2015-018
 दि 16-5-16 को अनुक्रम
 खत नं 6958 क्रमांक 835
 नं 0.100 को खत नं 6959
 क्रमांक 0750, 6960 क्रमांक
 0255, 6961 क्रमांक 0375
 6962 क्रमांक 0386 क्रमांक
 7175 क्रमांक 0749 नं 0749
 7179 क्रमांक 1.683
 7189 क्रमांक 1.065 क्रमांक
 7190 क्रमांक 0.228 मने
 मने क्रमांक 5000 को मने
 हामी प्रकृत हामी सिपको हामी
 मने मनेको को हामी मनेको
 मने मनेको मने मनेको

समाप्त
 २०३०/११/२५
 ११/०१/१६

मनेको मनेको
 २०३०/११/२५
 ११/०१/१६

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग
लम्बाई 3.00 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

df
2025

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


2027

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: ceedpwddd@rediffmail.com

पत्रांक 2451 / एन०पी०वी०

दिनांक 30/07/2015.

संग में

उपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नौटल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण
प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान हेतु आवंटन।

संदर्भ - प्रमुख अभियन्ता (विभागखण्ड) उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 1810/25
बजट (एन०पी०वी० भुग-स०स०)/2015-16, दिनांक 15-07-2015.

मागोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण
विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि
₹ 2,33,65,126.00 (₹ दो करोड़ तैंतीस लाख पैसठ हजार एक सौ छब्बीस) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के
अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1. एन०पी०वी० भुगतान हेतु	₹ 1,51,28,100.00
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 53,03,026.00
3. पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 12,78,000.00
4. 100 वृक्षों के वृक्षा/दस गुने वृक्षों का भुगतान	₹ 16,56,000.00
योग	₹ 2,33,65,126.00

अर्थात् कुल ₹ 2,33,65,126.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157107150014 के माध्यम से
दिनांक 23-07-2015 द्वारा **Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttarakhand S B**
A/c No. 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा
रहे हैं। सुतम संगर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

- संलग्न** - 1- आई०डी संख्या CC0100157107150014 की छायाप्रति।
2- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
3- UTR No.

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।
दिनांक 30/07/2015.

पत्रांक 2451 / एन०पी०वी०

- प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ऑबर्सरीय मोटर्स, सहारनपुर रोड, भाजरा, देहरादून।
 - 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पीडी/नेनीताल।
 - 4- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
 - 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।
 - 6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पीडी/जल्मोडा/हल्द्वानी।
 - 7- अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोडा (1)/नेनीताल (2)/
पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पीडी (12)/लो०नि०वि०
अधीनस्थ खण्डों को अनुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

प्राप्त अनिवार्य

अभिजाता
ने०वि०

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advice

Government of Uttarakhand

ChequeID : CC0100157107150014 Date : 23-JUL-15

1571 Division Name : Construction Division P.W.D.
 PAC Scheme : 505404000000 PY
 (REVISION) Name : Complementary Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand
 Head No. Project Name : LAND COMPANATION AND R.P.Y. PAYMENT (STATE)

ALLOWED AMT : 20488014 EXPENDITURE AMT : 33878988 REMAINING AMT : 1388884

Complementary Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand
Bank P.W.D. Code: CC01001571 Account No: 202100102025229 as per serial below

In Computer Bank AC 2385126
 Total Payment 2385126

(Rs. Two Crore Thirty Three Lac Sixty Five Thousand One Hundred Twenty Six Only.)

Amount above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

Signature with Seal
Executive Engineer
 Construction Division, P.W.D.
 Dehradun, Uttarakhand-248001

DAOR:DAO Construction Division P.W.D. Dehradun

Sr. Disbursal Accounts Officer
Construction Division, P.W.D.
Dehradun

For Treasury Use

CC0100157107150014 Date: 23-JUL-15

[Signature Box]

Payment Id [Signature Box]

2385126.00
 (Rs. Two Crore Thirty Three Lac Sixty Five Thousand One Hundred Twenty Six Only.)
 2385126.00 Amount By TC No. 200

ATO Signature

CTOS: TD70570 Signature

हारा प्रति परामर्श

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Details

Number

CN38807883

is

Success

Time

28-Jul-2015 [12:00 AM] IST

28-Jul-2015

Multiple Credits

Two Crores Fifty Seven Lakhs Eighty Three
Thousand Two Hundred and Sixty Two only

2,57,83,262.00

00000010901749156

DEHRADUN

"CN38807883"

3162005FTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

010028071517491

Invoice Description

E01002128071585014

Transaction Type

NEFT Funds transfer

Account Details

Account No.

Branch

Amount

0010911749156

DEHRADUN

2,57,83,262.00

Beneficiary Account Details

Beneficiary Name/Account No.

Bank/Branch/IFSC Code

Amount

Credit Status UTR No.

Cumulative Allowance Fund

NEW DELHI LOCHI

2,33,65,126.00

Credited to
Beneficiary
Account

SBIN715210353868

MOCHA/237105101025229

BANK/CORP0000371

Credit
under
Process

SBIN715210353863

BSM TECH STRUCTURAL

RAIPUR

3,12,825.00

Credit
under
Process

SBIN715210352667

EDULT/1701068002100012507

DEHRADUN/PUNJAB

3,234.00

Credit
under
Process

SBIN715210352681

001423000101083843

NATIONAL

16,170.00

Credit
under
Process

SBIN715210352689

PRENEERA KUMAR AND

DEHRADUN VIDHAN

16,31,012.00

Credit
under
Process

SBIN715210352687

0008002180023434

SABHA/PUNJAB

NATIONAL

BANK/PUNB0442200

DEHRADUN HINC/PUNJAB

NATIONAL

BANK/PUNB0390800

DEHRADUN VIDHAN

SABHA/PUNJAB

NATIONAL

BANK/PUNB0442200

CLOCK TOWER DEHRA

DUNCANARA

BANK/CNRB0002162

सत्यमेव जयते

जगजित
जगजित

का क्रमांक 16/10 / 24 एवं क्रमांक एचआर-2020/2015-16 दिनांक 15/11/2016 का आदेश।

मुद्रक विभाग के प्रकार विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित दूरभाष विभाग का विभाग है।
 1. का क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।
 2. का क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

क्र.	विवरण	प्रमाण	आवृत्ति	प्राथमिकता	अवधि	आवृत्ति	प्रमाण	अवधि	प्रमाण	अवधि	आवृत्ति
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

क्रमांक 16/10, संचालक विभाग का वह विभाग है जिसका नाम 'दूरभाष विभाग' है।

संख्या 1802/15

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग
लम्बाई 3.00 कि०मी०

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जौली तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

[Signature]
1802/15
जिलाधिकारी
जिला अधिकार
बलसोड़ा.

[Signature]
जिलाधिकारी
बलसोड़ा

[Signature]
जिलाधिकारी
बलसोड़ा

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
जिलाधिकारी
बलसोड़ा

1.6A

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.

Dated.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No.-11-0998-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th Feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2,3650 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D Almora Uttarakhand for Construction of Chelchina-Chupra Motor Road (3.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Tikar, Chupara Village (s) in Jaiti tahsils. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2,3650 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Each: As above

[Handwritten Signature]

1802/15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

[Handwritten Mark]
जिला प्रमुख
अल्मोड़ा

छाया प्रति पंजीकृत


सहायक जिला प्रमुख
ग्रामीण विकास, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2,36,50 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Each As above

Place and name of the official seal of the District Collector


180215
Signature
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला प्रमाण प्रत्यायन अधिकारी
अल्मोड़ा

हालांकि प्रमाणित

प्रमाणित
प्रमाणित
अल्मोड़ा


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date 18.02.15 at time 1:20 PM at Almora in which application claiming rights of Tikar, Chupara Village area measuring 1.923 Hect. for the construction of Chelchina-Chupra Motor Road (3.00 Km.) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Jaiti sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


Place: Almora


18.02.15
जिला अधीक्षक
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee.

Dated:

जिला अधीक्षक, जिला कार्यालय, अमोरा

हालात पनि परामर्शित


प्रमुख, जिला कार्यालय, अमोरा

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जैती

उपखण्ड जैती परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 0.9000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1613 हे० सिविल रोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.3037 हे० अर्थात् कुल 2.3650 हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जैती) की दिनांक 12.2.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिंजू बिष्ट उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्रीमती रिंजू बिष्ट उपजिलाधिकारी जैती अध्यक्ष
- 2- श्री समरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सौम्य वन सदस्य
- 3- श्री आरुण शरण बिष्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी जलमगड़ा सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती वासिष्ठा देवी बी०डी०सी० क्षेत्र चुपड़ा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 2.3650 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार की कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उप जिलाधिकारी

में सर्वसम्मति से उपखण्ड जेता परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में
के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु
23650 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम
से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

हागा जनि पन्नापित्त

पत्रांक
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चुपड़ा
तहसील जे.सी. जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 0.9000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1613 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.3037 हे० अर्थात् कुल 2.3650 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चुपड़ा द्वारा दिनांक 10/2/15 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चुपड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
[Signature]

बिबिहा देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
चुपड़ा तहसील

जयश्याम
ग्राम प्रधान

टांग पत्र पञ्जापिन

[Signature]
[Stamp]

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श. केशव शर्मा	[Signature]
2	खडक सिंह रावत	
3	दलीप कुमार	डी. शर्मा
4	हरा राम	विमला देवी
5	विमला देवी	गणेश सिंह
6	गणेश सिंह	

विमला देवी
 ग्राम प्रधान पद
 -नापडा / रिक्त

जयशाम
 ग्राम प्रधान
 ...

...

ग्राम पंचायत
 ...

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम टीकर
तहसील जैत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना-चुपड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 0.9000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1613 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.3037 हे० अर्थात् कुल 2.3650 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टीकर द्वारा दिनांक 10/2/15 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टीकर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
RAC

बबिता देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
चुपड़ा/टीकर

ग्राम प्रधान
टीकर

प्रमाणित किया
2015

प्रपत्र-23.1

दिनांक 12/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

(1)

गोपाल सिंह निजवाल

गोचान सिंह

(2)

हिरा सिंह बाल

बिनायक रावत

(3)

विशाल सिंह रावत

...

(4)

उत्तम सिंह निजवाल

...

(5)

राधेन्द्रा सिंह निजवाल

शक्ति सिंह

(6)

साबुली देवी

साबुली देवी

...

बिबिना देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान
चुपड़ा टोल

...

...